रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-12042021-226529
CG-MH-E-12042021-226529

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चैत्र 22, 1943
No. 154] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 18 मार्च, 2021

सं. टीएएमपी/79/2015-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, दीनदयाल पत्तन न्यास की लवण-भूमि की दरों के मौजूदा दरमानों की वैधता में संलग्न आदेशानुसार विस्तार करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/79/2015-केपीटी

दीनदयाल पत्तन न्यास --- **आवेदक**

गणपूर्ति

(i). **श्री टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)**

(ii). **श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)**

आदेश

(मार्च, 2021 के 16वें दिन पारित)

यह मामला, दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) की लवण-भूमि की दरों के मौजूदा दरमानों की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2.1. कांडला में लवण-भूमि के मौजूदा दरमानों को पिछली बार प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएएमपी/79/2015-केपीटी दिनांक 02 मई 2016 द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसे भारत के राजपत्र में 26 मई 2016 को अधिसूचित किया गया था। आदेश में दरमानों की वैधता 04 जुलाई 2020 तक निर्धारित की गई थी ।

2.2. तदनंतर, डीपीटी के अनुरोध पर, कांडला में लवण-भूमि के मौजूदा दरमानों की वैधता में, इस प्राधिकरण के 07 सितम्बर, 2020 के आदेश संख्या टीएएमपी/79/2015-केपीटी के द्वारा, 6 महीने की अवधि के लिये यानी 05 जुलाई 2020 से 04 जनवरी 2021 तक या डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किराया की अधिसूचना की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तार किया गया था। उक्त आदेश में डीपीटी को अनुरोध किया गया था कि वह लवण भूमि के पट्टा किरायों में संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव 15 अक्तूबर 2020 से पहले दायर करे।

2.3. अब डीपीटी ने 24 दिसम्बर, 2020 के अपने पत्र में यह दोहराते हुए यह निवेदन किया है कि डीपीटी ने भूमि प्रबंधन नीति दिशानिर्देशों के उपबंध 13(v) के अनुसार भूमि के बाजार-मूल्य का आकलन करने के लिए भूमि मूल्यांकक की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए दिसंबर 2019 के दौरान कार्रवाई शुरू की और पत्तन द्वारा इसकी जांच की जा रही है। इसलिए, डीपीटी ने कहा है कि 05 जुलाई 2020 से लागू संशोधित दरों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगेगा। इसलिए, डीपीटी ने मौजूदा दरमानों की वैधता में 4 जनवरी 2021 से आगे, 2% वृद्धि के साथ, और 6 महीने की अवधि के लिये अर्थात 5 जनवरी 2021 से 4 जुलाई 2021 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है ।

3.1. उपरोक्त के मद्देनजर और कांडला में मौजूदा लवण भूमि की अवधि की वैधता 4 जनवरी 2021 को समाप्त हो गई है और डीपीटी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, यह प्राधिकरण डीपीटी की कांडला में लवण भूमि के मौजूदा दरमानों की वैधता का 5 जनवरी 2021 से 4 जुलाई 2021 तक तक या संशोधित दरमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तार करता है । डीपीटी को सलाह दी जाती है कि वह 31 मई 2021 से पहले लवण भूमि के लिए पट्टा-किराया में संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दायर करे।

3.2. इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा जारी 2014 की संशोधित भूमि नीति दिशानिर्देश, जिनके आधार पर डीपीटी की लवण भूमि के लिए दर संरचना को मई 2016 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया, में यह निर्धारित है कि इस प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत पट्टा किराया को तब तक 2% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाया जाएगा जब तक प्राधिकरण द्वारा उनमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है। इस प्राधिकरण द्वारा मई 2016 में पारित आदेश में भी इस संबंध में एक विशिष्ट शर्त निर्धारित की गई है। चूंकि मौजूदा दर संरचना में किराया में पहले से ही उस समय तक और सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जब तक कि दरों में इस प्राधिकरण द्वारा संशोधन नहीं कर दिया जाता हैं और डीपीटी के अनुरोध के अनुसार, 2% वार्षिक दर से वृद्धि निर्धारित है, डीपीटी के कांडला में लवण भूमि के लिए दर संरचना की विस्तारित वैधता अवधि के दौरान 2% की वार्षिक वृद्धि जारी रहेगी।

3.3. हालांकि, इस संबंध में, यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 2% की इस वार्षिक वृद्धि के साथ मौजूदा पट्टा किराया में वैधता में यह विस्तार, वर्तमान परिदृश्य में निर्वात से बचने के लिए केवल एक अनंतिम व्यवस्था है। इस संबंध में डीपीटी द्वारा दायर किए जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर कांडला में लवण -भूमि के लिए निर्धारित किए जाने वाले पट्टा किराया को पूर्व-व्यापी प्रभाव दिया जाए, जैसा कि डीपीटी द्वारा अनुरोध किया गया है।

4. परिणामत:, और ऊपर दिए गए कारणों से यह प्राधिकरण दीनदयाल पत्तन न्यास की कांडला में लवण भूमि की मौजूदा दर संरचना की वैधता अवधि का डीपीटी द्वारा दायर किए जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर 05 जनवरी 2021 से 04 जुलाई 2021 तक या संशोधित पट्टा किराया की अधिसूचना की प्रभावी तारीख, जो भी पहले हो, तक विस्तार करता है। डीपीटी को सलाह दी जाती है कि वह अपना प्रस्ताव लवण भूमि के पट्टा किराया में संशोधन के लिए 31 मई 2021 से पहले दायर करे।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./18/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th March, 2021

No. TAMP/79/2015-KPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of Salt Land of Deendayal Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/79/2015-KPT

Deendayal Port Trust **- - -** **Applicant**

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 16th day of March 2021)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of Salt Land of Deendayal Port Trust (DPT).

2.1. The existing Scale of Rates (SOR) of Salt land at Kandla was last approved by the Authority vide Order No. TAMP/79/2015-KPT dated 02 May 2016 which was notified in the Gazette of India on 26 May 2016. The Order prescribed the validity of the SOR till 04 July 2020.

2.2. Subsequently, at the request of the DPT, the validity of the SOR of Salt lands at Kandla was extended vide Order No. TAMP/79/2015-KPT dated 07 September 2020 for a period of six months from 05 July 2020 till 04 January 2021 or the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier. In the said Order, the DPT was also requested to file its proposal for revision of lease rent of Salt land by 15 October 2020.

2.3. Now, the DPT has, vide its letter dated 24 December 2020, reiterated its submission that the DPT has initiated action inviting offers for appointment of land valuer for assessing the market value of land as per provision 13(v) of Policy Guidelines on Land Management, 2015 during the month of December 2019 and same is under examination by the port and therefore the finalization of revised rates applicable with effect from 05 July 2020 will take some time. Hence, DPT has requested to extend the validity of the existing SOR beyond 4 January 2021 i.e. for further period of six months from 05 January 2021 till 4 July 2021 with 2% escalation.

3.1. In view of the above and since the validity of the exiting SOR of Salt lands at Kandla has expired on 04 January 2021 and based on the request made by the DPT, this Authority is inclined to extend the validity of the existing SOR of the Salt Lands at Kandla of the DPT from 05 January 2021 till 04 July 2021 or the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier. The DPT is advised to file its proposal for revision of lease rent for salt land before 31 May 2021.

3.2. Further, the revised Land Policy Guidelines of 2014 issued by the Government based on which the rate structure for Salt lands of DPT has been approved by this Authority in May 2016 stipulate that the lease rentals approved by this Authority shall be escalated by 2% per annum till they are revised by the Authority. The Order approved by this Authority in May 2016 also prescribes a specific condition in this regard. Since the existing Rate structure already prescribes annual escalation @ 2% in the lease rentals till such time the rates are revised by this Authority and in line with the guidelines issued by the Government and as requested by the DPT, the annual escalation @ 2% will continue to apply during the extended validity period of the rate structure for Salt lands at Kandla of DPT.

3.3. However, in this regard, it is relevant to mention here that the extension of the existing lease rentals with an annual escalation of 2% is only a provisional arrangement to avoid a vacuum in the current scenario. The lease rentals to be fixed for the Salt lands at Kandla based on the proposal to be filed by the DPT in this regard shall have to be given retrospective effect, as requested by the DPT.

4. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing rate structure of Salt lands at Kandla of Deendayal Port Trust from 05 January 2021 till 04 July 2021 or the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier. The DPT is advised to file its proposal for revision of lease rent for salt land before 31 May 2021.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./18/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.04.12 22:02:30 +05'30'